पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–02/16 294

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 10-03-17

विषय :– माँग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45– निर्माण कार्य 50P470200101180545	**450.00**
आवंटित राशि – ₹ चार करोड़ पचास लाख मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट उपबंध रू० 12100.00 लाख (एक सौ एक्कीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तो का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 10/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 294 रॉची, दिनांक :– 10-03-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/देवघर/दुमका/कोडरमा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 10/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 294 राँची, दिनांक :– 10-03-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति प्रधान चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	Sukhdev 10/3 **(सुखदेव सिंह)** **प्रधान सचिव**

पत्रांकः –294 /राँची, दिनांक– 10-03-17

परिशिष्ट–1

माँग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –101–सतही जल,
उपशीर्ष – 18– चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य
विपत्र कोड–50P470200101180545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2016–17) रू॰ 12100.00 लाख (एक सौ एक्कीस करोड़) मात्र

(राशि – लाख ₹ में)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	.10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	कोडरमा	कोडरमा	छोटकी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।	36/26.11.15	49.320	0.000	583.86	200.00	783.86	102414	
2			कोडरमा	हरहरो नदी पर एकल चेकडैम निर्माण।		83.310	0.000					
3			कोडरमा	अक्टो नदी पर एकल चेकडैम निर्माण।		88.920	0.000					
4			कोडरमा	अरघौती नाला पर चेकडैम निर्माण।		56.790	0.000					
5			कोडरमा	लोहासिकर नाला पर श्रृं0 चे0 नि0		168.310	0.000					
6			कोडरमा	दिवाने ढाब नाला पर चेकडैम निर्माण।		118.990	0.000					
7			डोमचांच	दमनिया नाला पर चेकडैम निर्माण।		50.471	0.000					
8			डोमचांच	लेमुआ ग्राम में कोनमरवा नदी पर चे0नि0		58.026	0.000					
9			मरकच्चो	जोड़ासिमर नाला पर चेकडैम निर्माण।		40.318	0.000					
10			सतगाँवा	डाड़ो नाला पर चेकडैम निर्माण।		39.394	0.000					
11			सतगाँवा	ग्राम खिरोकला में तमोलिया नाला पर एकल चे0 निर्माण।		62.938	0.000					
12			मरकच्चो	बिराजपुर नाला पर श्रृं0 चे0 नि0		129.136	0.000					
13			मरकच्चो	सिमरकुन्डी नाला पर चेकडैम निर्माण।		59.378	0.000					
14			मरकच्चो	चोपनाडीह ग्राम में बभन्डीह नाला चे0नि0		33.188	0.000					
15			मरकच्चो	सिमरिया ग्राम में जोभिया नाला पर चे0नि0		30.197	0.000					
16			मरकच्चो	ग्राम पपरहा में हदहदवा नाला पर चे0नि0		32.213	0.000					
17			डोमचांच	ग्राम कटाही में बसदुबिया नाला पर चे0नि0		46.476	0.000					
18			डोमचांच	चोरही नदी पर श्रृंखलाबद्ध चे0नि0		199.368	0.000					
							योग	**583.86**	**200.00**	**783.86**		

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 10/3
प्रधान सचिव

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	लघु सिंचाई प्रमंडल रूपांकण दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)	देवघर	मधुपुर	फतेहपुर जोरिया पर चेकडैम निर्माण	36/26.11.15	38.940	84.310	1066.78	250.00	1316.78	**102415**	
20			मधुपुर	बलवा जोरिया पर चेकडैम निर्माण		47.220						
21			मधुपुर	भगवानपुर जोरिया पर चेकडैम निर्माण		48.910						
22			मधुपुर	जिवानपुर जोरिया पर चेकडैम निर्माण		38.680						
23			मधुपुर	लोहियाडीह जोरिया पर चेकडैम निर्माण		38.420						
24			मधुपुर	झुनका जोरिया पर चेकडैम निर्माण		41.180						
25			मधुपुर	गोदालीटांड जोरिया पर चेकडैम निर्माण		42.050						
26			मधुपुर	सलैया जोरिया पर चेकडैम निर्माण		42.000						
27			करों	वेलक्यारी जोरिया पर चेकडैम निर्माण		40.010						
28			करों	मांझीडीह जोरिया पर चेकडैम निर्माण		35.760						
29			करों	मांझीडीह पूर्व जोरिया पर चेकडैम निर्माण		43.010						
30			करों	केंदुऑटांड जोरिया पर चेकडैम निर्माण		32.440						
31			करों	बरसतिया जोरिया पर चेकडैम निर्माण		35.370						
32			करों	लहर जोरी जोरिया पर चेकडैम निर्माण		31.310						
33			करों	जोकाही जोरिया पर चेकडैम निर्माण		35.300						
34			मधुपुर	केराकुन्डी जोरिया पर चेकडैम निर्माण		38.290						
35			करों	छोकटी नदी जोरिया पर श्रृं0 चे0नि0		113.650						
36			करों	न्यूचिहुरिया जोरिया पर श्रृं0 चे0नि0		109.600						
37			पालोजोरी	शीतलकुडी जोरिया पर श्रृं0 चे0नि0		209.300						
38			पालोजोरी	श्री रामपुर जोरिया पर श्रृं0 चे0नि0		82.130						
39			देवीपुर	विश्वनाथी जोरिया पर चेकडैम निर्माण		36.880						
40			देवीपुर	जगमनिया जोरिया पर चेकडैम निर्माण		35.490						
41			देवीपुर	अमडीह जोरिया पर श्रृं0 चेकडैम निर्माण		117.470						
42			मोहनपुर	तिलौना जोरिया पर चेकडैम निर्माण		49.870						
43			मोहनपुर	सिकरादन जोरिया पर चेकडैम निर्माण		54.110						
44			मोहनपुर	कमलादह जोरिया पर चेकडैम निर्माण		36.860						
							योग	**1066.78**	**250.00**	**1316.78**		
							कुल योग	**1650.64**	**450.00**	**2100.64**		

आवंटित राशि – ₹ चार करोड़ पचास लाख मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव